

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क./स्वच्छता/छ:/2020/190

टेंडर नं. 68807

कोरबा दिनांक 02.11.2020

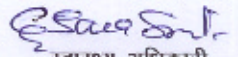
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा उचित वर्ग में पंजीकृत सफाई कार्य में अनुभवी ठेकेदारों से ई-प्रोक्युरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	धरोहर राशि	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र. 65,66,67 बांकी मोंगरा क्षेत्र की सफाई कार्य	43.79	32900/-	12 माह	वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी	26.11.2020 से

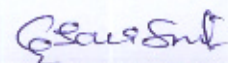
शर्त :-

- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदार फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, प्राक्कलन राशि के लगभग सफाई कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्र/पैन नम्बर एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, धरोहर राशि ऑनलाईन सबमिशन के माध्यम से करना होगा तथा स्कैन कॉपी ऑन लाईन सिस्टम में अपलोड करना होगा साथ ही कार्य में लगे श्रमिकों का ई.एस.आई.सी. एवं पी.एफ. में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। वाहन का स्वामित्व प्रोपाइटर/फर्म के नाम पर होना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा अर्थात् निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित होगा।
- विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम साकेत भवन रायपुर कोरबा के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
- बिना बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का रहेगा।


स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छत्तीसगढ़)

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		02.11.20	15.30	02.11.20	15.30	Release Tender
2		Bid Submission	02.11.20	15.30	25.11.20	17.30	
3	Tender Open		26.11.20	10.30	--	--	



HEALTH OFFICER
KORBA (CG)

For, Commissioner Korba (C.G.)

OFFICE OF MUNICIPAL CORPORATION , KORBA (C.G.)

ABSTRACT

SWEEPING AND CLEANING WORK AT WARD -65,66,67 BANKIMONGRA ZONE

No.	Quantity	Item of work	Unit	Rate	Amount	Remarks
Part-A						
1.	18056.00 R.m	सभी प्रकार के सड़को मेन रोड की सफाई का कार्य एवं सफाई से निकले कचड़े को चयनित स्थल पर एकत्रित करना यह कार्य सप्ताह में 06 दिवस करना होगा।	Rm			
2.	18366.0 R.m	सभी प्रकार की नालियों की सफाई का कार्य एवं सफाई से निकले कचड़े को चयनित स्थल पर एकत्रित करना यह कार्य सप्ताह में 06 दिवस करना होगा।	Rm			
3.	1800.00 M ²	सोमवारी बाजार की सफाई कार्य सप्ताह में 01 दिवस करना होगा। आयटम नं.-01 से 03 तक की सम्पूर्ण वार्ड की सफाई कार्य। कुल श्रमिक संख्या- 25	1 Job			
Part-B	1500.0 M ³	आईटम क्रमांक-01 सेतक संबंधित क्षेत्र में सड़क झाड़ू नाली सफाई से उत्सर्जित अपशिष्ट को एकत्र कर पृथक-पृथक (गीला-सूखा) स्वयं के वाहन (ट्रैक्टर ट्राली, डम्पर, ट्रक आदि मे लोड कर निर्धारित स्थल बरवसपुर एल.आर.एम.सेन्टर मे परिवहन कर तथा वहाँ गीला कचरा कम्पोस्ट पिट मे डालना तथा सूखे कचरे के अवयवों को उसी दिन पृथक-पृथक करना तथा पृथक किये गया अपशिष्ट के अवयवों (प्लास्टिक, गत्ता, लोहा, काँच इत्यादि) को प्रतिदिन प्रसंस्करण/पुर्न चक्रिकरण का कार्य किया जायेगा।	M ³			

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

DETAIL STIMATE FORM

वार्ड क्रमांक 65,66 एवं बांकीमोगरा जोन कोरबा

Item no	Particulars of item	No of lenth	breath	Depth of hight	content	Remark
सड़क सफाई	वार्ड क्र. 66					
	थाना से सोमवारी बाजार तक	260 Rm				
	मारुति इलेक्ट्रीकल्स से ननकी घर तक	185.00				
	मकसूद कुर्सी से गुरुद्वारा तक	45.00				
	कमला घर से परदेशी घर तक	75.00				
	सरदार घर से कदम पेड तक	45.00				
	श्याम महाराज घर से खान घर तक	225.00				
	मौ दुर्गा जनरल स्टोर से संत राम गुप्ता घर तक	128.00				
	जीतू घर से लौहार घर तक	210.00				
	बाजार मोड से आयूष सी.डी कार्नर तक	75.00				
	ट्रॉसफार्मर से घासी घर तक	75.00				
	ज्ञानोदय स्कूल से बाधा पारा स्कूल तक	180.00				
	एच पी एन 51/53 से तेलसरा पुल तक	450.00				
	ज्ञानोदय स्कूल से एनजाए घर तक	200.00				
	ट्रॉसफार्मर से जीतेन्द्र घर तक	45.00				
	ट्रॉसफार्मर से शिव मंदिर तक	260.00				
	शिवमंदिर से पीपल पेड तक	100.00				
	चौहान घर से लकडी टॉल तक	435.00				
	मुस्ताक घर से ओमी घर तक	1125.00				
	इंदिरा नगर रामकुमार घर से मैग्जीन रोड	180.0				
	जगदीश चौहान घर से हुसेन घर तक	150.0				
	इंदिरा नगर डीपो से शंकर खूटे होते हुए अडा दुकान तक	300.00				
	इंदिरा नगर डीपो से राकेश जनरल से शांति नगर होते हुए चतुरबाई घर तक	675.0				
	इंदिरा नगर रोड	80.0				
		5483.0 Rm				

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

DETAIL STIMATE FORM

वार्ड क्रमांक 65,66 एवं ~~67~~ बांकीमोगरा जोन कोरबा

Item no	Particulars of item	No of lenth	breath	Depth of hight	content	Remark
सड़क सफाई	राकेश जनरल स्टोर के पीछे से बृज साहू के घर होते हुए मैग्जीन रोड तक	300.00				
	नागराज घर से आगे तक	300.00				
	शांति नगर बबलू घर से जंगल साइड रोड	165.00				
	मैग्जीन रोड प्रकाश साव घर से बेनूलाल घर	330.00				
	जंगल साइड रोड से सेवक राम घर तक	50.00				
	मंगलू घर से जंगल साइड कांग्रेस कार्या	255.00				
	जंगल साइड उडिया मोह से हनुमान मंदिर होते हुए हरी सेठ घर तक	150.00				
	जंगल साइड बोंधापारा स्कूल से परदेश लोहार घर तक	150.00				
	जंगल साइड पटेल मोहल्ला झोलकी तालाब से करमन दास घर होते हुए तुफानी घर तक	240.00				
	तुफानी घर से रामू केवट होते हुए बिजेन्द्र वकील घर तक	300.00				
	पुलिस मैदान से डामर में रोड	100.00				
	शांति नगर डबल स्टोरी से अरून सिंह घर के पास भागवत विश्व एम.जे.बी स्कूल के पीछे	300.00				
	रामनारायण पटेल पप कटघोरा रोड विमलेश शर्मा घर तक	600.00				
	गायत्री मोहल्ला बबलू लोहार घर के पीछे सतचंडी मंदिर से गुरुद्वारा होते हुए ननकी घर से शनि मंदिर तक	300.00				
	लखू शर्मा घर से थाना होते हुए शौचालय तक	450.00				
	बकरा दुकान से विनोद यादव घर होते हुए बुधराम घर तक	150.00				
वार्ड क्र. 65	लकड़ी टॉल से अशोक सायकल स्टोर तक	1380.00 Rm				
	कृष्ण म्यूजिक सेन्टर गली	20.00				
	हैण्ड पंप से भागवत घर तक	120.00				
	निषाद गली	150.00				

11,473.0 Rm

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

DETAIL STIMATE FORM

वार्ड क्रमांक 65,66,67 बांकीमोगरा जोन कोरबा

Item no	Particulars of item	No of lenth	breath	Depth of hight	content	Remark
सड़क सफाई	B.F-	11473.00 Rm				
	भागवत घर से राजा घर तक	125.00				
	राठौर घर के पीछे गली	37.00				
	डॉ अग्रवाल घर से मस्जिद तक	75.00				
	मस्जिद मोड सुरेश अग्रवाल तक	60.00				
	शिव घर से खुबसूरत ब्यूटी पार्लर	75.00				
	मंघ से जय स्तम्भ तक	225.00				
	जय स्तम्भ से शिव मंदिर तक	270.00				
	हनुमान मंदिर से पीपल पेड तक	550.00				
	सोसायटी से तालाब तक	121.00				
	बहरता घर से सेलून तक	45.00				
	पटवारी ऑफिस से खेत तक	75.00				
	पद्मा पान ठेला से खेत तक	80.00				
	पिन्डू घर से मघ तक	45.00				
	रामकिशन से जुड़ा हुआ गली	45.00				
	शिवमंदिर कुदरी पारा से कैवर्त मोहल्ला	65.00				
	मेन रोड से दलका घर तक	200.00				
	वार्ड न. 67					
	एस.वी.एन स्कूल से शक्ति चौक सड़क	600.00				
	एस.वी.एन स्कूल के सामने सड़क	200.00				
	एस.वी.एन स्कूल से ए.टी.एम बैंक तक	710.00				
	गजरा चौक से डॉ जायसवाल सिंह वाला रोड	270.00				
	गजरा बस्ती से शक्ति चौक	500.00				
	बनवारी साइड मिलापराम जी घर से					
	लक्ष्मीन चौहान तक सड़क	100.00				
	बनवारी साइड गंगानगर सड़क	400.00				
	अम्बेडकर नगर सड़क तीनों सेन्टर	710.00				
	जगल साइड पूर्व पार्श्व लक्ष्मीन घर से					
	नवदुर्गा मंदिर	300.00				
	बाधापारा से सोमवारी बाजार पहुच मार्ग	150.00				
	गजरा साइड छतराम जागडे मोहल्ला	100.00				
	गजरा साइड चन्द्रभान आर्य मोहल्ला	150.00				
	गजरा साइड सुबोध शर्मा वकिल घर मोहल्ला					
	गजरा चौक	100.00				
	डॉ जायसवाल सिंह घर के पीछे मोहल्ला	200.00				

18056.00 Rm

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

DETAIL STIMATE FORM

वार्ड क्रमांक 65,66 एवं ~~67~~ बांकीमोगरा जोन कोरबा

Item no	Particulars of item	No of lenth	breath	Depth of hight	content	Remark
नाली सफाई	वार्ड क. 66					
	थाना से शुभम फर्नीचर दुकान	165.00	Rm			
	शिव मंदिर से कार्तिक घर के पीछे	30.00				
	मीना घर से दीलिप घर तक	60.00				
	सोमवारी नाला शास्त्री चौक पुल तक	210.00				
	हैण्ड पंप से नाला तक	30.00				
	सर्वमंगल ड्राईवर से शबीर पान ठेला तक	250.00				
	मारुति इलेक्ट्रीकल्स से ननकी घर तक	185.00				
	मकसूद कुरैसी से गुरुद्वारा तक	45.00				
	कमला से परदेशी घर तक	75.00				
	श्याम पान ठेला से पास्थी गुरुजी घर तक	480.00				
	भागवत घर से कदम पेड तक	45.00				
	गोरे घर से शिव मंदिर के पीछे तक	180.00				
	माँ दुर्गा जनरल स्टोर से संत राम गुप्ता घर तक	128.00				
	जीतू घर से लोहार घर तक	210.00				
	श्याम महाराज घर से खान घर तक	225.00				
	नन्हे होटल के नीचे पुल से आयूष सी डी सेन्टर तक	60.00				
	ट्रॉसफार्मर से घासी सेठ घर तक	75.00				
	ज्ञानोदय स्कूल से बाधा पारा स्कूल तक	180.00				
	एच.पी.एन 51/53 से विशेषर घर तक	450.00				
	पवन ठेकेदार घर से बबलू साहू घर तक	270.00				
	ज्ञानोदय स्कूल से मैगजीन रोड तक(दायाँ)	150.00				
	(बाँया)	150.00				
	ट्रॉसफार्मर से जीतेन्द्र घर तक	45.00				
	ज्ञानोदय से पीछे नाली	35.00				
	शिवमंदिर गली	40.00				
	चौहान घर से लकडी टॉल तक	435.00				
	चौहान घर के दाँया तरफ की नाली	135.00				
	मुस्ताक घर से ओमी सेठ घर तक	1125.00				
	पेट्रोल पंप से आलूवाला घर तक	165.00				
		5633.00	Rm			

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

DETAIL STIMATE FORM

वार्ड क्रमांक 65,66 एवं 67 बांकीमोगरा जोन कोरबा

Item no	Particulars of item	No of lenth	breath	Depth of hight	content	Remark
नाली सफाई	इंदिरा नगर रामकुमार घर से मैग्जीन रोड	360.0				
	जगदीश चौहान घर से हुसेन घर तक	150.0				
	इंदिरा नगर डीपो से शंकर खूटे होते हुए अंडा दुकान तक	300.00				
	इंदिरा नगर डीपो से राकेश जनरल से शांति नगर होते हुए चतुरबाई घर तक	675.0				
	इंदिरा नगर रोड	60.0				
	राकेश जनरल स्टोर के पीछे से बृज साहू के घर होते हुए मैग्जीन रोड तक	300.00				
	नागराज घर से आगे तक	300.00				
	शांति नगर बबलू घर से जंगल साइड रोड	165.00				
	मैग्जीन रोड प्रकाश साव घर से बेनूलाल घर	330.00				
	जंगल साइड रोड से सेवक राम घर तक	50.00				
	मंगलू घर से जंगल साइड कांग्रेस कार्या	510.00				
	आजाद चौक से सबीर पान भंडार तक	600.00				
	जंगल साइड उडिया मोह.से हनुमान मंदिर होते हुए हरी सेठ घर तक	150.00				
	जंगल साइड बौधापारा स्कूल से परदेश लोहार घर तक	150.00				
	जंगल साइड पटेल मोहल्ला झोलकी तालाब से करमन दास घर होते हुए तुफानी घर तक	240.00				
	तुफानी घर से रामू केवट होते हुए बिजेन्द्र वकील घर तक	600.00				
	ब्रम्हा कुमारी आश्रम से सोमवारी बाजार होते हुए शास्त्री चौक तक	450.00				
	पुलिस मैदान से डामर मेन रोड	100.00				
	शांति नगर डबल स्टोरी से तरुन सिंह घर के पास भागवत विश्व.एम.जे.बी स्कूल के पीछे	300.00				
	रामनारायण पटेल पप कटघोरा रोड विमलेश शर्मा घर तक	600.00				
	गायत्री मोहल्ला बबलू लोहार घर के पीछे सतचंडी मंदिर से गुरुद्वारा होते हुए ननकी घर से शनि मंदिर तक	600.00				
	लक्खू शर्मा घर से थाना होते हुए शौचालय तक	450.00				
	बकरा दुकान से विनोद यादव घर होते हुए बुधराम घर तक	150.00				

13403.0 Rm

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

DETAIL STIMATE FORM

वार्ड क्रमांक 65, 66, 67 बांकीमोगरा जोन कोरबा

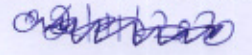
Item no	Particulars of item	No of lenth	breath	Depth of hight	content	Remark
नाली सफाई	B.F-					
	टायर दुकान से लम्बा चाल	45 00				
	वार्ड क. 65					
	लकडी टॉल से अशोक सायकल स्टोर तक	1380.00 Rm				
	कृष्ण म्यूजिक सेन्टर गली	20.00				
	हैण्ड पंप से भागवत घर तक	120 00				
	निषाद गली	150 00				
	हैण्ड पंप से पी.के.दास घर तक	60.00				
	राठौर घर के पीछे	37 00				
	डॉ. अग्रवाल से मस्जिद तक	75 00				
	शिव घर से खुबसूरत ब्यूटी पार्लर तक	75 00				
	मच से जय स्तम्भ तक	225 00				
	जय स्तम्भ से शिव मंदिर तक	210 00				
	कोल नम्बर 52 से मेन नाला तक	60 00				
	सोसायटी से तालाब तक	121 00				
	बहरता घर से सेलून तक	60 00				
	पटवारी ऑफिस से खेत तक	75 00				
	पद्मा पान ठेला से खेत तक	80 00				
	पिन्टू घर से मच तक	45 00				
	रामकिशन से जुड़ा हुआ गली	45.00				
	हनुमान मंदिर से सामुदायिक भवन तक	45 00				
	हनुमान मंदिर के बाँये साईड की नाली	450.00				
	वार्ड न. 67					
	बाकी थाना लाइन से शत्रुहन मुहल्ला	75 00				
	एस.वी.एन.स्कूल से ए.टी.एम. बैंक तक	710 00				
	गजरा बस्ती से शक्ति चौक	500 00				
	जगल साइड पूर्व पार्श्व लक्ष्मीन घर से					
	नवदुर्गा मंदिर तक	300 00				
		18366.00 Rm				
	सोमवारी बाजार की सफाई कार्य 120x15	= 1800 m ²				



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./स्व./छ:/2020

कोरबा दिनांक.....

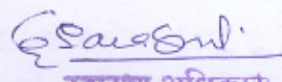


नियम एवं शर्तें :-

1. ठेकेदार का कार्य क्षेत्र :-.....
2. ठेकेदार को सफाई उपकरण जैसे - रिक्शा, हाथ ठेला, झोड़ी, रापा, तगाडी, बेलचा, सुरक्षा उपकरण, एम. एस. राड आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगा। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को अन्य सुरक्षा सामग्री जैसे गम बूट, दस्ताने, मास्क आदि उपलब्ध कराना होगा।
3. सफाई कार्य में लगे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन कलेक्टर द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दर पर करना होगा। श्रमिकों के समस्त भत्ते, मेडिकल, अवकाश एवं सम्पूर्ण जवाबदारी श्रम कानून के अंतर्गत निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. ठेकेदार को अपने कार्य क्षेत्र में कचरे के एकत्रीकरण एवं समापन हेतु वाहन (ट्रेक्टर मय ट्राली, ट्रक चार चक्का वाहन, मेटाडोर, टाटा एस) नग, हाथ ठेला नग, रिक्शा नग, रखना अनिवार्य होगा। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए वाहनों, हाथ ठेला, ट्राई साइकिल की संख्या प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार बढ़ाई जाएगी। निर्धारित संख्या में रिक्शा, हाथ ठेला ठेकेदार द्वारा नहीं लगाने की स्थिति में उपलब्ध होने पर निगम द्वारा रिक्शा व हाथ ठेला प्रदाय किया जावेगा इस दशा में रिक्शा व हाथ ठेला की खरीदी लागत ठेकेदार के देयक से 12 किश्तों में एक वर्ष के अंदर कटौती की जावेगी।
5. ठेकेदार को अपने कार्य क्षेत्र से निकलने वाले सम्पूर्ण कचरे को प्रतिदिन अपने वाहन से परिवहन कर चयनित स्थल में करना अनिवार्य होगा। ऐसा ना करने पर निगम द्वारा विभागीय वाहन से अपशिष्ट समापन किया जायेगा इस दशा में ठेकेदार से दण्ड स्वरूप परिवहन पर होने वाले व्यय की दुगुनी राशि देयक से काटी जायेगी साथ साथ उस दिन किये गये सफाई कार्य का भुगतान भी नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को अपशिष्ट का परिवहन करते समय प्लास्टिक, तिरपाल, आदि से ढक्कर परिवहन करना अनिवार्य होगा।
6. सफाई कार्य के शिकायतों का निराकरण तत्काल संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कराना अनिवार्य होगा।
7. ठेकेदार को शासकीय मानक के अनुरूप श्रमिकों की भुगतान पंजी का संधारण, लेबर, लाइसेंस, ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन तथा पी.एफ. नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. ठेकेदार को सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, व्यवसायिक परिसर एवं सांस्कृतिक भवन हेतु प्रभारी के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन तथा सफाई निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप करना अनिवार्य होगा।
9. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।
10. अवकाश के दिन भी आवश्यकता होने पर सफाई कार्य संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार करना अनिवार्य होगा।
11. घर से निकलने वाले घरेलू कचरे का एकत्रीकरण (डोर टू डोर कलेक्शन) प्रतिदिन करना अनिवार्य होगा इसके साथ ही साथ सड़क पर फैली हुई प्लास्टिक पन्नी एकत्र करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अर्थदण्ड के साथ-साथ उस कार्य दिवस के सफाई कार्य का भुगतान भी नहीं किया जावेगा।
12. यदि सफाई ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य निगम द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं किया जाता है तो न्यूनतम प्रतिदिन रु. 10000/- का तथा अधिकतम आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निर्धारित कर अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा।

13. ठेकेदार/प्रतिनिधि का कार्य स्थल पर कार्य अवधि में रहना अनिवार्य होगा ठेकेदार/प्रतिनिधि के मोबाईल नम्बर प्रभारी अधिकारी के पास उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। सफाई कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों को परिचय पत्र प्रदान करना अनिवार्य होगा।
14. अधिकारियों के निर्देशानुसार फिनाईल, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराना आवश्यक होगा। कीटनाशक दवा, फिनाईल आदि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
15. सीवर लाईन सफाई के पूर्व एवं बाद में चेम्बर कव्हर को व्यवस्थित करना/खोलना/बंद करना अनिवार्य होगा।
16. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व क्षेत्र में साइट आफिस खोलना अनिवार्य होगा जिसकी लिखित जानकारी प्रभारी अधिकारी को देना होगा।
17. कचरे के समापन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले निर्धारित संख्या में वाहन जिसकी जानकारी निविदा में दी गई है। साइट पर कार्यरत रखना अनिवार्य होगा।
18. ठेकेदार द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से मृत, लावारिस जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि का शिकायत प्राप्त होने पर उठाना अनिवार्य होगा जिसका पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
19. सफाई कर्मचारी को अपने कार्य पर वर्दी में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा सफाई कामगारों को वर्दी एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराने की दशा में निगम द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा जिसकी दुगुनी कीमत ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी।
20. सफाई कार्य का सत्यापन नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक, वरि. स्वच्छता निरीक्षक सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा एवं सफाई, सफाई सामग्री उपलब्धता एवं सफाई कार्य गुणवत्ता पर टीप लिखी जावेगी, जिसके आधार पर देयक का भुगतान किया जावेगा।
21. अनुबंधकर्ता को छत्तीसगढ़ में प्रचलित लेबर एक्ट की धाराओं एवं ई.एस.आई./कर्मचारी भविष्य निधि नियमों का पालन करना होगा एवं उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
22. सफाई कार्य के लिए अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए रखी जाती है परंतु निगम द्वारा कभी भी एक माह का नोटिस जारी कर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा अनुबंधित अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एक सप्ताह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
23. नगर निगम एवं अनुबंधकर्ता के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में नगर निगम आयुक्त/महापौर का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
24. ठेकेदार को आबंटित क्षेत्र की सफाई संबंधी 1100 की शिकायत का निराकरण त्वरित करना होगा प्राप्त शिकायतों की पंजी संधारित करना होगा एवं संबंधित से जानकारी लिया जाकर सूचित किया जाना भी ठेकेदार का ही दायित्व होगा तथा संबंधित ठेकेदार एवं सुपरवाइजर को मोबाइल में वाट्सअप चालू रखना अनिवार्य होगा एवं वाट्सअप के माध्यम से की गई शिकायत का निराकरण 24 घंटे के अंदर करना होगा तथा शिकायत निराकरण पंजी प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा यदि अनुबंध के बीच के अवधि में कार्य छोड़ा गया तो नये ठेके से जो हानि नगर निगम को होगी उसकी क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता से की जा सकेगी और उसकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी एवं आगामी तीन वर्ष तक निगम के अन्य किसी भी कार्य से वंचित माना जावेगा।
26. अनुबंधकर्ता के द्वारा सफाई कार्य पर रखे गये सफाई कर्मचारी अनुबंधकर्ता के कर्मचारी होंगे तथा वे इस आधार पर कि उन्होंने नगर निगम कोरबा में सफाई कार्य किया है भविष्य में कभी निगम के सेवा में रखे जाने के अधिकारी नहीं होंगे।

27. हडताल किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जावेगी। हडताल करने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा अमानत राशि राजसात कर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।
28. आपात परिस्थितियों में नगर निगम द्वारा आवश्यकता पडने पर सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों की सेवाएं सफाई संबंधी अन्य कार्य में लेने का अधिकार नगर निगम प्रशासन का होगा।
29. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत घर-घर अपशिष्ट का पृथक-पृथक एकत्रीकरण हेतु निगम द्वारा निर्धारित किये गये वाहन (बैटरी चलित आटो रिक्शा) से निगम द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करना होगा।
30. सफाई कार्य (सड़क सफाई, नाली सफाई) अपशिष्ट का एकत्रीकरण संग्रहण पृथककरण एवं परिवहन कार्य निर्धारित नियमों, मापदण्ड के अनुसार न होने की स्थिति में एक सप्ताह का नोटिस देने के पश्चात् कार्य को समाप्त किया जा सकेगा।
31. सफाई कार्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में निगम कोरबा द्वारा कार्ययोजना में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है परिवर्तित नियमों का पालन निविदाकार (ठेकेदार) को करना अनिवार्य होगा यदि निगम चाहेगा तब अपशिष्ट प्रबंधन डोर टू डोर (एकत्रीकरण) हेतु अन्य संस्था को कार्य दे सकेगी।
32. यदि आवश्यक होगा तो अपशिष्ट एकत्रीकरण, संग्रहण, पृथककरण एवं परिवहन कार्य हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम के निर्देशानुसार प्रयुक्त वाहन के डिजाइन एवं वाहन के प्रकार में परिवर्तन किया जा सकेगा।
33. कार्य करने की अवधि 08 घंटे (लंच अवधि को मिलाकर) होगी। 07 घंटे के कम कार्य करने पर आधा अवधि का कार्य माना जावेगा एवं 04 घंटे के कम कार्य करने पर कार्यावधि शून्य माना जावेगा।
34. सफाई कार्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्य 01 माह की नोटिस देने के पश्चात् अनुबंध की अवधि के पूर्व समाप्त किया जा सकेगा।
35. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
36. स्वयं के व्यय पर ठेका क्षेत्र अंतर्गत समस्त वार्डों में सहज दृश्य स्थान पर स्वयं व सफाई निरीक्षकों के Whatsapp/Mobile नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
37. समय-समय पर शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के पालन की अनिवार्यता होगी।
38. उपरोक्त कार्य शर्त क्र. 01 से 37 तक के शर्तों का पालन न करने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा को होगा एवं ठेका निरस्त की स्थिति में निगम को होने वाली किसी प्रकार की आर्थिक हानि के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।


स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)